

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

बी.के. त्रिपाठी,  
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना,  
सुवर्णरेखा भवन, आदित्यपुर, जमशेदपुर।

रॉंची, दिनांक :- 9-1-15

विषय :-

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अंतर्गत योजना मुख्य शीर्ष-4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-09-स्वर्ण रेखा परियोजना (ए.आई.बी.पी.) विस्तृत, शीर्ष-05-निर्माण, 45-मुख्य निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49P470080796090545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु निधि का आवंटनादेश संख्या-53 दिनांक-10.06.2014 द्वारा आवंटित राशि को परियोजना अन्तर्गत अन्य कार्यो हेतु उपयोग करने के अनुमति के संबंध में।

प्रसंग :-

विभागीय आवंटनादेश संख्या-53 दिनांक-10.06.2014

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014-2015 में विषयान्तर्गत शीर्ष से सुवर्ण रेखा परियोजना पर व्यय हेतु प्रशासक, सुवर्ण रेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर को ₹ 250.57358 लाख (दो करोड़ पचास लाख संतावन हजार तीन सौ अंठावन) मात्र की राशि आरबीट्रेशन अपील सं०-11/2007, के आई०ए० संख्या-3498/2007 झारखण्ड राज्य बनाम मे० हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देश के आलोक में अवार्ड राशि के भुगतान हेतु उक्त राशि आवंटित की गयी थी।

- परन्तु आपके द्वारा सूचना दी गई है कि अवार्ड राशि का भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है। चूँकि राशि **Online Allotment System** द्वारा निर्गत है तथा वर्तमान में आपके पास ही है।
- अतः इस राशि को सुवर्णरेखा परियोजना के अन्य कार्यो हेतु उप आवंटित करने की अनुमति दी जाती है।

विश्वासभाजन

9/1/15

(बी.के. त्रिपाठी)

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :-

175

रॉंची, दिनांक :-

9-1-15

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्दू रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरण्डा/जमशेदपुर/सरायकेला-खरसौवा/चाईबासा/घाटशिला सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/1/15

(बी.के. त्रिपाठी)

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :-

175

रॉंची, दिनांक :-

9-1-15

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉंची/ईचा-गालूडीह कम्प्लेक्स/सुवर्णरेखा डेस्क, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ओंकार नाथ)  
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)  
उप सचिव (अभि.)

(सुनील कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी.के. त्रिपाठी)  
अपर मुख्य सचिव